न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 20/2024 (उदयपुर डिक्री)

समस्त ग्रामवासी ग्राम राणा, पंचायत चाटिया खेडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.) जरिये प्रतिनिधि :–

1. मदनलाल पिता खेमा जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा
2. गणेशलाल पिता कुशाल जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा
3. प्यारचन्द पिता गणेश जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा
4. विक्रम पिता भूरीलाल जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा
5. कालूलाल पिता भूरीलाल जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रोडीलाल पिता पतिया जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शम्भूलाल पिता पतिया जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. किशनलाल पिता धर्मेश जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा दि॰
21.03.2013 प्रकरण संख्या 59/2012

———/———

उपस्थित :– 1– श्री हिमांशु सोलंकी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मनोज कुमार पंवार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक 21–08–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट 1 व 2 ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 63(4), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested

के स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी नंबर 124 रकबा 4 बीघा भूमि मौजा राणा में स्थित है, जो वादीगण के पिता को सन् 1978 में आवंटित की गयी थी, जिसके हाल आराजी नंबर 187 रकबा 1.0500 हैक्टर हैं। आवंटन के समय से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा आवंटन पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 322 दिनांक 04–12–1978 वादीगण के पिता पतिया के नाम खोला गया है, किन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व अभिलेखों से वादीगण का नाम विलोपित कर दिया गया, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं है। अतः विवादित आराजी नंबर 187 रकबा 1.0500 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी सरकार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 21–03–2013 से वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए विवादित आराजी नंबर 187 रकबा 1.0500 हैक्टर में से 0.8650 हैक्टर का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–04–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पंवार उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 14–03–2024 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 मौके पर जे.सी.बी. लेकर आये एवं भूमि समतल करने व बने हुए मकानों को ध्वस्त करने की कोशिश की तथा बताया कि जमीन उसके खाते की है। इस पर अपीलान्टगण ने नकले निकलवा कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब 11 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं देरी के जो कारण अपीलान्ट ने बताये हैं वह 11 वर्ष के विलम्ब हेतु न तो उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2013 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–04–2024 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर अपील दिनांक 20–05–2013 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील करीब 10 वर्ष 11 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी हैं एवं इतने लम्बे विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने जो कारण बताये हैं वह न तो उचित प्रकट होते हैं एवं न ही उसे इतने वर्षों के विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 21–03–2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............ व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ....

समस्त ग्रामवासी ग्राम राणा, पंचायत चाटिया खेडी, तह0 गोगुन्दा जरिये प्रतिनिधि मदनलाल मेघवाल व अन्य	बनाम	रोडीलाल पिता पतिया जी मेघवाल, निवासी ग्राम राणा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......**20/2024**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... .....**गोगुन्दा**........... मुकाम...............मुवर्खे............**21**..............माह..............**03**...........**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**21**....माह........**08**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हिमाशु सोलंकी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री मनोज कुमार पंवार**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 21–03–2013 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**21**.......माह.......**08**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested